

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (AMENDMENT)
AND VALIDATION) ACT, 1970

(U. P. Act No. 10 of 1970)

[Authoritative English Text* of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi
(Sanshodhan) Adhiniyam, 1970.]

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 and to validate
certain actions taken thereunder

It is HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as
follows:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi
(Amendment and Validation) Act, 1970.

Short title.

CHAPTER II

AMENDMENTS

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam,
1964, hereinafter referred to as the principal Act, for clause (a) the following clause
shall be substituted, and be deemed always to have been substituted, namely :

Amendment of
section 2 of U. P.
Act no. XXV of
1964.

“(a) ‘agricultural produce’ means such items of produce of agriculture,
horticulture, viticulture, apiculture, sericulture, pisciculture, animal hus-
bandry or forest as are specified in the Schedule, and includes admixture of
two or more of such items, and also includes any such item in processed
form, and further includes gur, rab, shakkor, khand.sari and jaggery;”

3. After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted,
namely:

Insertion of
new section 4-A.

“4-A. The State Government may by notification in the Gazette, add to,
Power to amend amend or omit any of the items of agricultural produce
Schedule. specified in the Schedule. and thereupon the Schedule
shall stand amended accordingly.”

4. For section 7 of the principal Act the following section shall be substituted,
namely:

Amendment of
section 7.

“7. As soon as may be after the publication of the notification under
section 6 the State Government may by notification in the Gazette declare
such portion of the market area as may be specified as the principal market
yard and such other portions as may be specified as sub-market yard.”

5. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), the words and figures
“which shall not be prior to the expiry of 90 days from the date of constitution
of a committee under section 14,” shall be omitted.

Amendment of
section 10.

[* For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary),
dated March 3, 1970.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 10, 1970 and by
the Uttar Pradesh Legislative Council on March 13, 1970).

[Received the Assent of the Governor on March 22, 1970, under Article 200 of the Consti-
tution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated April
8, 1970.]

Amendment of
section 13.

6. In section 13 of the principal Act—

(1) in sub-section (1)—

(i) in clause (vi), for the words “three representatives of traders, brokers and commission agents”, the words “two representatives of traders and one representative of commission agents” shall be *substituted*.

(ii) for clause (vii) the following clauses shall be *substituted*, namely:

“(vii) eight producers of the Market Area elected by the Pradhans of the Gaon Sabhas exercising jurisdiction over any part of the Market Area;

(vii-a) not more than two producers of the market area belonging to the Scheduled Castes, to be nominated by the State Government;”

(iii) for clause (viii) the following clause shall be *substituted*, namely:—

“(viii) two Government officials nominated by the State Government of whom one shall be a representative of the Agriculture Department and the other of the Food and Civil Supplies Department; and”;

(iv) After clause (viii) the following clause shall be *added*, namely:

“(ix) the Chairman of Utpadan Samitis of all the Kshettra Samitis exercising jurisdiction over the Market Area or any part thereof;”;

(2) in sub-section (3), for the words, figures and brackets “under clauses (iv), (v) and (viii)” the words, figures and brackets “under clause (iv), (v), (vii-a) and (viii)” shall be *substituted*; and

(3) after sub-section (12), the following sub-section shall be *added*, namely:

“(13) No member nominated by the State Government under clause (viii) of sub-section (1) shall have the right to vote at any meeting of the Committee.”

Amendment of
section 14.

7. In section 14 of the principal Act, for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*, namely:

“(1) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, appoint all the members of the First Committee, or of a new Committee mentioned in clause (b) of sub-section (2) of section 8, including the Chairman and the Vice-Chairman, from amongst the persons who in the opinion of the State Government are suitable to represent the different interests referred to in sub-section (1) of section 13.”

Amendment of
section 15.

8. In section 15 of the principal Act, after the proviso thereto, the following proviso shall be *added*, namely:

“Provided further that in respect of vacancies to be filled by nomination by the State Government, the first proviso shall be so construed as if for the words ‘the Director’ the words ‘the State Government’ were *substituted*.”

Amendment of
section 19.

9. In section 19 of the principal Act, in sub-section (3), the following shall be *added* as a proviso thereto, namely:

“Provided that the annual expenditure in respect of matters specified in clause (ii) shall not exceed ten per cent of the total annual receipts of the Committee, excluding loans raised by it and advances or grants made to it, except with the prior approval of the Director.”

Amendment of
section 39.

10. In section 39 of the principal Act, for the proviso to sub-section (1), the following proviso shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*, namely:

“Provided that no bye-law, other than a bye-law made by adopting draft or model bye-law suggested by the Director, shall be valid unless approved by the Director.”

11. After section 40 of the principal Act the following Schedule shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely :—

Addition of
Schedule.

SCHEDULE

[SECTIONS 2(a) AND 4-A]

A—AGRICULTURE

I. Cereals—

1. Wheat.
2. Barley.
3. Paddy.
4. Rice.
5. Jowar.
6. Bajra.
7. Maize.
8. Bejhar.
9. Manduwa.
10. Oats.
11. Kakun.
12. Kodon.
13. Kutki.
14. Sawan.

II. Legumes—

1. Gram.
2. Peas.
3. Arhar.
4. Urd.
5. Moong.
6. Masoor.
7. Lobia (seed).
8. Soyabean.
9. Khesari.
10. Sanai (seed).
11. Dhaincha (seed).
12. Guar.
13. Moth.
14. Kulthi.

III. Oilseeds—

1. Mustard and rape seed (including rye, duwan, taramira, and toria), of all kinds.
2. Shuwan (seed).
3. Linseed.
4. Castor seed.
5. Groundnut.
6. Til seed.
7. Mahuwa seed.
8. Gullu.
9. Cotton seed.
10. Safflower seed.

IV. Fibres—

1. Jute.
2. Sunnhemp fibre.
3. Cotton (ginned and unginned).
4. Patson.
5. Dhaincha.
6. Rambans.
7. Mesta.

V. Narcotics—

1. Tobacco.

VI. Spices—

1. Coriander.
2. Ripe chillies.
3. Methi (seed)
4. Dry ginger.
5. Sonf (aniseed)
6. Turmeric.
7. Dry mango slices and amchoor.
8. Cumin seed.

VII. Grass and Fodder—

1. All types of grass and fodder (green and dried).
2. Bhusa.

VIII. Miscellaneous—

1. Cholai (seed)
2. Poppyseed.
3. Ramdana.
4. Walnuts.
5. Ban.
6. Neem seed.
7. Celery seed.
8. Ambri seed.
9. Mahuwa flower (dry).
10. Chiraunjee.
11. Berseem (seed).
12. Lucern (seed).
13. Makhana.
14. Sugarcane.
15. Mesta seed.

B—HORTICULTURE

I. Vegetables—

1. Potato.
2. Onion.

3. Garlic.
4. Sweet potato.
5. Colocasia.
6. Ginger (green).
7. Kachalu.
8. Chillies.
9. Tomato.
10. Cabbage, cauliflower knol khol.
11. Carrot.
12. Radish.
13. Brinjal.
14. Tinda.
15. Bottle gourd.
16. Green peas.
17. Turnip.
18. Parwal.
19. Beans.
20. Saag (of all kinds).
21. Bétel leaves.
22. Beet root.
23. Yam.
24. Elephant foot.
25. Lettuce.
26. Dill.
27. Jack fruit (green).
28. Cucumber.
29. Snake gourd.
30. Bitter gourd.
31. Sponge gourd.
32. White gourd.
33. Lady's finger.
34. Pumpkin.
35. Cluster beans.
36. Tamarind.
37. Banda.
38. Singhara.
39. Lobia (green).

II. Fruits—

1. Lemons.
2. Orange.
3. Mosambi.
4. Sweet orange (Malta)
5. Grape fruit.
6. Banana.
7. Pomegranates.
8. Strawberries.
9. Musk melon.

II Fruits—(Concl.)

10. Water melon.	31. Dates.	2. Eggs.
11. Snap melon.	32. Khirni.	3. Cattle.
12. Papaya.	33. Apricot.	4. Sheep.
13. Phalsa.	34. Jamun.	5. Goat.
14. Poppy.	35. Pear.	6. Butter.
15. Apple.	36. Custard apple.	7. Ghee.
16. Guava.	37. Mulberry.	8. Khoya.
17. Ber.	38. Pumelo.	9. Cottage cheese.
18. Aonla.	39. Raspberry.	10. Milk.
19. Litchi.	C—VITICULTURE	11. Hides and skins.
20. Chiku.	1. Grapes.	12. Bones.
21. Peaches.	D—APICULTURE	13. Meat.
22. Loquat.	1. Honey.	14. Bristles.
23. Bela.	2. Wax.	15. Wool.
24. Pineapple.		H—FOREST PRODUCTS
25. Mango.	E—SERICULTURE	1. Gum.
26. Plum.	1. Silk.	2. Wood.
27. Fig.	F—PISCICULTURE	3. Tendu leaves.
28. Jack fruit (ripe).	1. Fish.	4. Lac.
29. Kamrakh.	G—ANIMAL HUS-	5. Reetha.
30. Karonda.	BANDRY PRODUCTS.	6. Catechu.
	1. Poultry.	

CHAPTER III

TRANSITORY PROVISIONS

Validation of certain actions.

12. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under the principal Act in relation to gur, rab, shakkar, khandsari or jaggery before the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment and Validation) Ordinance, 1969, including any notification issued under any of the sections 5 to 8, any power, function or duty exercised, performed or discharged under section 16 or section 17 of the principal Act by any Mandi Samiti or by any officer or servant thereof, and in particular, any fees for the issue or renewal of any licence or market fees on any transaction of sale or purchase of gur, rab, shakkar, khandsari or jaggery levied or collected by any Mandi Samiti, shall be deemed to be and always to have been done or taken under the said Act as hereby amended and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times :

Provided that nothing in this section shall be construed to authorise the prosecution or punishment of any person for any offence under section 37 of the principal Act committed in relation to gur, rab, shakkar, khandsari or jaggery before the commencement of the said Ordinance.

Certain declarations of Market Areas and additions to market areas not to be invalid.

13. Notwithstanding anything contained in sections 5, 6 and 8 of the principal Act or in any rule made under that Act—

(a) no declaration made or purporting to have been made prior to the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment and Validation) Ordinance, 1968 (hereinafter referred to as the Ordinance of 1968), under sub-section (1) of section 5 or under section 6 of the principal Act; and

(b) no order made or purporting to have been made, prior to such commencement, under sub-section (1) of section 8 of the principal Act for including any area in a market area, shall be invalid or be deemed ever to have been invalid on the ground that the same was made only by notification in the *Gazette* and not in the prescribed manner.

14. (1) Where, prior to the commencement of the Ordinance of 1968, any area has been declared or purports to have been declared under section 7 of the principal Act to be the principal market yard or sub-market Yard of the market area specified in that declaration, and such area was not a portion of the Market area, then notwithstanding anything contained in section 5, 6 and 7 of the principal Act or in any rule made under that Act—

Certain declarations of principal market yards or sub-market yards not to be invalid.

(a) such area shall be deemed to have been validly declared under section 6 of the principal Act as a part of the market area with effect from the date specified in the declaration in respect of such market area under the said section; and

(b) such area shall be deemed to have been validly declared as the principal market yard, or the sub-market yard, as the case may be, of that market area, with effect from the date specified in the declaration in respect of such principal market yard or sub-market yard under section 7 of the principal Act.

(2) The inclusion of any area in a market area by virtue of the provisions of clause (a) of sub-section (1) shall be subject to any orders passed by the State Government under sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment and Validation) Act, 1968, on any objections preferred against such inclusion and where such area or any portion thereof is by notification in the *Gazette* ordered to be excluded with effect from a date specified in the order, from the market area concerned, the area so excluded shall be deemed, from the date so specified, to be so excluded under clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act and the provisions of that Act shall apply as if the area was excluded under clause (b) of sub-section (1) of the said section 8.

15. (1) Every First Committee or a new Committee constituted, prior to the commencement of the Ordinance of 1968, under the provisions of the principal Act, shall be deemed always to have been validly constituted according to the provisions of section 14 of the principal Act as amended by this Act.

Certain Market Committees and their acts not to be invalid.

(2) Notwithstanding anything contained in sections 5, 6, 7 and 8 of the principal Act, or in any rule made under that Act—

(a) a Committee referred to in sub-section (1) shall not be deemed ever to have been invalidly constituted; and

(b) any power exercised, functions performed or act done by such a Committee, shall not be deemed ever to have been invalidly exercised, performed or done.

On the grounds that the market area or the principal market yard or sub-market yard, as the case may be, was not declared, or any area was not included in that market area, in accordance with the provisions of section 5, section 6, section 7 or section 8 of the principal Act, or of any rule made under that Act.

16. Notwithstanding anything contained in sections 13 and 14 of the principal Act as amended by this Act, it shall not be necessary for the State Government to reconstitute any First Committee or new Committee constituted in respect of any market area before the commencement of this Act, merely to bring it in conformity with the provisions of the said sections as amended by this Act:

Reconstitution of First Committee or new Committee not necessary in certain cases.

Provided that the Chairman of the Utpadan Samitis referred to in clause (ix) of sub-section (1) of section 13 of the principal Act as hereby amended shall become *ex officio* members of the Committees concerned on the commencement of this Act.

17. Where any bye-law made by a Market Committee under sub-section (1) of section 39 of the principal Act has, prior to the commencement of the Ordinance of 1968, been approved by the Director, then, notwithstanding anything contained in the said sub-section (1) of section 39 of the principal Act, such bye-law shall be, and shall be deemed always to have been, valid with effect from the date it was so made.

Certain bye-laws not to be invalid.

CHAPTER IV

REPEAL

18. The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment and Validation) Act, 1968 and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment and Validation) Ordinance, 1969, are hereby repealed.

उत्तर प्रदेश कृषि-उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 मई, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अपेक्षित संशोधन तथा तद्वर्धन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिये,

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 25,
1964।

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये)

अध्याय 2

संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 25,
1964 की धारा
2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:

“(क) ‘कृषि-उत्पादन’ का तात्पर्य कृषि, उद्यान-कर्म, द्राक्षा-कृषि, मधु-मक्खी पालन, कोश-कीट-पालन, मत्स्य संवर्धन, पशु-पालन या वन उत्पाद, की ऐसी मदों से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट हों, और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सम्मिश्रण भी है, और इसमें संसाधित रूप में ऐसी कोई मद भी सम्मिलित है, और इसके अन्तर्गत गुड़, राब, शक्कर, खाण्ड-सारी तथा जगरी भी है।”

नयी धारा 4—क
का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“4—क—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की अनुसूची में संशो- किसी मद को बढ़ा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या धन करने का उसे निकाल सकती है, और तदुपरान्त अनुसूची तदनुसूची प्रधिकार संशोधित हो जायगी।”

धारा 7 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

“7—धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा मण्डी क्षेत्र के ऐसे भाग को जो निर्दिष्ट किया जाय प्रधान मण्डी स्थल और ऐसे अन्य भागों को जो निर्दिष्ट किये जाय, उप-मण्डी स्थल घोषित कर सकती है।”

धारा 10 का
संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में शब्द तथा अंक “और जो धारा 14 के अधीन समिति के संघटन के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत होने के पहले का न होगा” निकाल दिये जाय।

धारा 13 का
संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 13 में—

(1) उपधारा (1) में—

(1) खण्ड (6) में शब्द “व्यापारियों, दलालों और आड़तियों के तीन प्रतिनिधि” के स्थान पर शब्द “व्यापारियों के दो प्रतिनिधि और आड़तियों का एक प्रतिनिधि” रख दिये जाय;

(2) खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाय, अर्थात्:—

“(7) मण्डी क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली गांव सभाओं के प्रधानों द्वारा निर्वाचित मण्डी क्षेत्र के आठ उत्पादक;

(7-क) मण्डी क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे दो से अनधिक उत्पादक जो अनुसूचित जातियों के हों;”;

(3) खण्ड (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

“(8) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सरकारी अधिकारी, जिनमें से एक कृषि विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा;” और

(4) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

“(9) मण्डी-क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली समस्त क्षेत्र समितियों की उत्पादन समितियों के सभापति”;

(2) उपधारा (3) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “खण्ड (4), (5) और (8) के अधीन” के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक “खण्ड (4), (5), (7-क) और (8) के अधीन” रख दिये जाय; और

(3) उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“(13) उपधारा (1) के खण्ड (8) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य को समिति की किसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा।”

7—मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्:—

धारा 14 का संशोधन

“(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के, या धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नयी समिति के, सभापति तथा उप-सभापति सहित, सभी सदस्यों की नियुक्ति, उन व्यक्तियों में से करेगी जो राज्य सरकार की राय में धारा 13 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उपयुक्त हों।”

8—मूल अधिनियम की धारा 15 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

धारा 15 का संशोधन

“अत्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नाम-निदिष्ट करके पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड का इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानो कि शब्द ‘निदेशक’ के स्थान पर शब्द ‘राज्य सरकार’ रखे गये हों।”

9—मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

धारा 19 का संशोधन

“प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) में निदिष्ट विषयों के संबंध में वार्षिक व्यय, समिति की कुल वार्षिक प्राप्तियों के, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये ऋण और उसे दिये गये अग्रिम धन या अनुदान नहीं हैं, दस प्रतिशत से अधिक, सिवाय निदेशक के पूर्वानुमोदन के, न होगा।”

10—मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

धारा 39 का संशोधन

“प्रतिबन्ध यह है कि उस उपविधि से, जो निदेशक द्वारा सुझाई गई प्रारूप या प्रतिमान उपविधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उपविधि तब तक वैध न होगी जब तक कि वह निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दी जाय।”

11—मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गई समझी जाय, अर्थात्:—

अनुसूची का बढ़ाया जाना

अनुसूची

[धारा 2(क) और 4-क]

क—कृषि—

1—अन्न

- 1—गेहूँ
- 2—जौ
- 3—धान
- 4—चावल
- 5—ज्वार
- 6—बाजरा
- 7—मक्का
- 8—बेझर
- 9—मंडुवा
- 10—जई
- 11—काकून
- 12—कोदो
- 13—कुटकी
- 14—सावा

2—द्वि-दलीय उत्पाद

- 1—चना
- 2—मटर
- 3—अरहर
- 4—उरद
- 5—गुंग
- 6—मसूर

7—लोबिया (बीज)

- 8—सोयाबीन
- 9—खेसारी
- 10—सनई (बीज)
- 11—डैचा (बीज)
- 12—खार
- 13—मोठ
- 14—कुलथी

3—तिलहन

- 1—सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, जिसमें राई, दुवा, तारा-मीरा और तोरिया सम्मिलित है।
- 2—सेहुंवा (बीज)
- 3—अलसी
- 4—अंडी
- 5—मूंगफली
- 6—तिल
- 7—महुआ की गुठली
- 8—गुल्लू
- 9—विनीला
- 10—बरं अथवा कुसुम (बीज)

4—रेशे

- 1—जूट
- 2—सनई का रेशा
- 3—रई (ओटी हुई और विना ओटी)
- 4—पटसन
- 5—डैचा
- 6—रामवास
- 7—मेस्टा

5—स्वापक

- 1—तम्बाकू

6—मसाले

- 1—घनियां
- 2—पकी मिर्च
- 3—मेंथी (बीज)
- 4—सोंठ
- 5—सौंफ
- 6—हल्दी
- 7—खटाई, अमचूर
- 8—जीरा

7—घास तथा चारा

1—सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ)

2—भूसा

8—विविध

1—चीलाई (बीज)

2—पोस्ता

3—रामदाना

4—अखरोट

5—बान

6—निमकौली

7—सेलेरी का बीज

8—अम्बि बीज

9—महुवा का फूल (सूखा)

10—चिरोँजी

11—बरसीम (बीज),

12—स्यूसनं (बीज)

13—मखाना

14—गन्ना

15—मेस्टा बीज

ख—उद्यान-कर्म—

1—शाक

1—आलू

2—प्याज

3—लहसुन

4—शकर-कन्द

5—अरबी

6—अदरक (हरी)

7—कचालू

8—भिचं

9—टमाटर

10—बंद गोभी, फूलगोभी, गठि-गोभी।

11—गाजर

12—मूली

13—बैंगन

14—टिन्डा

15—लौकी

16—हरी मटर

17—शालजम

18—परवल

19—सेम

20—साग (सब प्रकार क)

21—पान

22—चुकन्दर

23—रतालू

24—जिमीकन्द

25—सलाद

26—सोया

27—कटहल (कच्चा)

28—ककड़ी-खीरा

29—चिचिन्हा

30—करेला

31—तरोई

32—पैठा

33—भिन्डी

34—कद्दू

35—ग्वार

36—इमली

37—बण्डा

38—सिघाड़ा

39—लोविया (हरी)

2—फल

1—नींबू

2—नारंगी

3—मुसम्बी

4—माल्टा

5—ग्रेप फ्रूट

6—केला

7—अनार

8—स्ट्राबेरी

9—खरबूजा

10—तरबूज

11—फ्रूट

12—पपीता

13—फालसा

14—पोस्ता

15—सेब

16—अमरूद

17—बेर

18—आंवला

19—लीची

20—चिकू

21—आहू

22—लोकट

23—बेल

24—अनन्नास

25—ग्राम

26—आलू-बुखारा

27—अंजीर

28—कटहल (पका)

29—कमरख

30—करौंदा

31—खजूर

32—खिरनी

33—खुबानी

34—जामुन

35—नाशापाती व नाख

36—शरीफा

37—शहतूत

38—चकोतरा

39—रसभरी

ग—द्राक्षा-कृषि—

1—अंगूर

घ—मधु-मक्खी पालन—

1—शहद

2—मोम

ङ—कोशकीट पालन—

1—रेशम

च—मत्स्य संवर्धन—

1—मछली

छ—पशुपालन-उत्पाद—

1—कुक्कुट

2—अण्डा

3—पशु

4—मेह

5—बकरी

6—मक्खन

7—घी

8—खोया

9—पनीर

10—दूध

11—चमड़ा और खाल

12—हड्डी

13—गोरत

14—सूअर का बाल

15—ऊन

ज—वन उत्पाद—

1—गोंद

2—लकड़ी

3—तेन्दू की पत्ती

4—लाख

5—रीठा

6—कत्था

अध्याय 3

संक्रमणकालीन उपबन्ध

12—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1969 के प्रारम्भ के पूर्व गुड़, राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई क्रिया, जिसके अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 5 से 8 तक की किसी भी धारा के अधीन जारी की गई कोई विज्ञप्ति, धारा 16 या धारा 17 के अधीन किसी मंडी समिति द्वारा या उसके अधिकारी या सेवक द्वारा प्रयोग किया गया कोई अधिकार, सम्पादित किया गया कोई कृत्य या पालन किया गया कोई कर्तव्य, और विशेष रूप से, किसी मंडी समिति द्वारा किसी लाइसेंस के देने या उसके नवीकरण के लिये लगाया गया या वसूल किया गया कोई शुल्क या गुड़, राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी के क्रय या विक्रय के सौदे पर लगाया गया या वसूल किया गया मण्डी शुल्क भी है, एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी और सदैव से समझी जायगी और यह उतनी ही वैध समझी जायगी और सदैव से वैध समझी जायगी मानो इस नियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे :

कतिपय कृत्यों का वैधीकरण

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व गुड़, राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी के संबंध में मूल अधिनियम की धारा 37 के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने या दंड देने का प्राधिकार प्राप्त होता है ।

13—मूल अधिनियम के धारा 5, 6 और 8 में, या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी,

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1968 (जिसे आगे 1968 का अध्यादेश कहा गया है) प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 6 के अधीन की गई अथवा की जाने के लिये तात्पर्यित कोई घोषणा ; और

(ख) इस प्रकार प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी में कोई क्षेत्र सम्मिलित करने के लिये दिया गया अथवा दिये जाने के लिये तात्पर्यित कोई आदेश,

इस आधार पर कि वह केवल गजट में विज्ञप्ति द्वारा जारी किया गया और नियत रीति से नहीं, न तो अवैध होगा और न कभी अवैध रहा समझा जायेगा ।

मंडी क्षेत्रों की कतिपय घोषणायें और मंडी क्षेत्रों में बद्ध अवैध न होगी

14—(1) यदि 1968 के अध्यादेश प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोई क्षेत्र, उक्त घोषणा में निर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का प्रधान मंडी स्थल या उपमंडी स्थल घोषित किया गया हो अथवा घोषित किया जाने के लिये तात्पर्यित हो, और ऐसा क्षेत्र उक्त मंडी क्षेत्र का भाग न हो तो, मूल अधिनियम की धारा 5, 6 और 7 या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के किसी बात के होते हुये भी—

प्रधान मंडी स्थलों या उप मंडी स्थलों की कतिपय घोषणायें अवैध न होंगी

(क) ऐसा क्षेत्र, मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन उस मंडी क्षेत्र के संबंध में की गई घोषणा में निर्दिष्ट दिनांक से, उक्त मंडी क्षेत्र के भाग के रूप में उक्त धारा के अधीन विधिवत् घोषित किया गया समझा जायेगा ; और

(ख) ऐसा क्षेत्र, मूल अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रधान मंडी स्थल या उपमंडी स्थल के संबंध में की गई घोषणा में निर्दिष्ट दिनांक से उक्त मंडी क्षेत्र के, यथा स्थिति, प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल के रूप में विधिवत् घोषित किया गया समझा जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के कारण किसी मंडी क्षेत्र में किसी क्षेत्र का सम्मिलन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1968, की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सम्मिलन के विरुद्ध की गई किन्हीं आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा, और ऐसा क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग गजट में विज्ञप्ति द्वारा आदेश में निर्दिष्ट दिनांक से सम्बद्ध मंडी क्षेत्र से निकाल दिये जायं तो इस प्रकार निकाला गया क्षेत्र, इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन इस प्रकार निकाला गया समझा जायेगा और उक्त अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह क्षेत्र उक्त धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निकाला गया हो ।

कतिपय मंडी समितियां तथा उनके कृत्य अवैध न होंगे

15—(1) 1968 के अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संघटित प्रत्येक प्रथम समिति या कोई नई समिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार सदैव से विधिवत् संघटित समझी जायेगी।

(2) मूल अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 में या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी—

(क) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कोई समिति, कभी इस आधार पर अवैध रूप से संघटित हुई नहीं समझी जायेगी ;

(ख) ऐसी समिति द्वारा, किसी अधिकार का किया गया प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन या किया गया कार्य, कभी इस आधार पर अवैध रूप से किया गया प्रयोग, सम्पादन या कार्य नहीं समझा जायेगा ;

कि मूल अधिनियम की धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8 अथवा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अनुसार, मंडी क्षेत्र या प्रधान मंडी स्थल या उपमंडी स्थल, जैसी भी दशा हो, की घोषणा नहीं की गई थी, या उक्त मंडी क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया था।

कतिपय दशाओं में प्रथम समिति या नई समिति का पुनः संघटित किया जाना आवश्यक न होगा

16—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 13 तथा 14 में दी गई किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मंडी क्षेत्र के सम्बन्ध में संघटित किसी प्रथम उस समिति या नई समिति को केवल इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धाराओं के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिये पुनः संघटित करना आवश्यक न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि एतद्द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (9) में अभिदिष्ट उत्पादन समितियों के सभापति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर संबंधित समितियों के पदेन सदस्य हो जायेंगे।

कतिपय उपविधियां अवैध न होंगी

17—यदि मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंडी समिति द्वारा बनाई गई कोई उपविधि, 1968 के अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व, निदेशक द्वारा अनुमोदित हो तो मूल अधिनियम की उपधारा 39 की उक्त उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, ऐसी उपविधि उस दिनांक से, जब वह इस प्रकार बनाई गई हो तो, वैध हुई समझी जायेगी।

अध्याय 4

निरसन

निरसन

18—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1968, और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1969 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।